

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थी/वादी	बनाम	विप्रार्थी/प्रतिवादी
दौलतसिंह पुत्र पनेसिंह जाति राजपूत निवासी आगोरिया तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (04)		भाखरसिंह पुत्र पनेसिंह जाति राजपूत निवासी आगोरिया तहसील शिव बाड़मेर वगैरा (04)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (धारा 88,53,188)

मुकदमा नम्बर :-112/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/09/21	प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के वकील श्री नरेन्द्र सिंह सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 05.10.21 को पेश हो।	
05.10.21	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के कैम्प बमुकाम.....को पेश हुई। उनबपक्ष अनु। पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 17.01.22 को पेश हो।	
17.01.22	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्लवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 25.03.22 को पेश हो।	
25.03.22	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण के इंतजार होकर आईन्दा दिनांक 22.04.22 को पेश हो।	

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

रजिस्ट्रार
3063-66
25.03.22



सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अहमद
हुक्म का
में जारी हुई

30.10.25

पत्रावली पेश। वादी वकील अनुपस्थित।
पत्रावली में प्रभावी पैली हेतु वादी व
वकील को न्यायालय सत्र में रुक-
रुककर आवानों दी जाने के बावजूद
कोर्ट उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली में
पैरवी नहीं होने तथा अनुपस्थित
रहने पर उक्त वाद इसी स्टेज
पर अदम हाजरी व अदम पैरवी
में खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल
दफ्तर हो

सहायक कलक्टर
शिव (वाडमेर)